

राजस्व लोक अदालत कैम्प खट्टू तहसील पंचपदरा
न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) वालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा नं० 36 / 2018

2018/01122

अपीलाण्ट	वनाम	रेसपोडेन्ट
खेतपालसिंह, हरिसिंह गोपालसिंह, सवाई सिंह पुत्र दीपसिंह हरकंवर पत्नि दीपसिंहसाठ देह खट्टू		1. ग्राम पंचायत खट्टू 3. भूमिधारक जरिये तहसीलदार पंचपदरा 4. उदाकंवर पुत्री दीपसिंह

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरुद्ध

आदेश

दिनांक:-30.05.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत खट्टू में प्रस्तुत की गई है।

राक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खट्टू में खेत खसरा नं० 18, 19 व ग्राम भीमरलाई स्टेशन के खसरा नं० 45 में अपीलाण्ट के पिता दीपसिंह के फौतगी नामान्तरकरण संख्या 324 व 76 भरते समय हमारा नाम खेतसिंह, हरिसिंह, बावूसिंह, श्रवणसिंह पुत्र दीपसिंह, सिरिकंवर पत्नि दीपसिंह दर्ज कर दिया है जो अशुद्ध नाम है। जबकि अपीलाण्ट का सही एवं वास्तविक नाम दस्तावेजों के अनुसार खेतपालसिंह, हरीसिंह, गोपालसिंह, सवाईसिंह पुत्र दीपसिंह व हरकंवर पत्नि दीपसिंह है। उक्त अपील पत्र के संबंध में पटवारी खट्टू/आरआई दूदवा/ तहसीलदार पंचपदरा की संयुक्त रिपोर्ट प्राप्त की गई उक्त रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट का नाम खेतपालसिंह, हरीसिंह, गोपालसिंह, सवाईसिंह पुत्र दीपसिंह व हरकंवर पत्नि दीपसिंह सही नाम दर्ज करने की सिफारिश की है।

अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व पटवारी खट्टू /आरआई दूदवा/ तहसीलदार पंचपदरा व ब्यानकर्ता बाबूलाल व सरपंच ग्राम पंचायत खट्टू की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रस्तुत दस्तावेज, आधार कार्ड, पहचान पत्र की रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट का राजस्व रेकर्ड में नाम खेतपालसिंह, हरीसिंह, बावूसिंह, श्रवणसिंह पुत्र दीपसिंह, सिरिकंवर पत्नि दीपसिंह है जबकि सही नाम खेतपालसिंह, हरीसिंह, गोपालसिंह, सवाईसिंह पुत्र दीपसिंह व हरकंवर पत्नि दीपसिंह है। इसके अलावा हरीसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड में यथावत रखा जाना है।

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
राजस्व अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
वालोतरा कैम्प.....